

पुलिस विभाग जिला-अजमेर  
॥ प्रेस नोट दिनांक 22.08.2017 ॥

अवैध शराब बेचने वाला

गिरफ्तार



पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौराने थाना हाजा पर गठित टीम बाबूलाल सउनि मय सुखराम कानि व जगवीरसिंह कानि. ने झलकारी स्मारक के पास से अभियुक्त विनोद उर्फ कालु पुत्र श्री मोहनलाल जाति सिंधी उम्र 42 साल नि. म.न. 165 सेक्टर 3 जे.पी. नगर अजमेर के कब्जे से 54 पक्के देशी शराब बेचते हुए को गिरफ्तार किया गया। एवं शराब को जब्त किया गया।

# स्थायी वारंटी में एक वारन्टी गिरफ्तार



पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे स्थाई वारंटी, भगौड़े आदि की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाधिकारी कि.गंज अजमेर द्वारा वर्ष 2014 से फरार चल रहे स्थाई गिरफ्तार वारंटी विभौरसिंह पुत्र श्री मुक्तिनाथ सिंह जाति क्षत्रिय राजपूत निवासी म.न. 71 न्यू बस्ती खैरा कॉलोनी गुडा यूपी को गुड़गांव से

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा भगवंत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय पंचशील निवासी वरुण लौहिया व उमाशंकर को दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर 8-8 लाख रुपये की ठगी करते हुए धोखाधड़ी की है।

## अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में करण सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता के मुलजिम धर्मेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति रावत उम्र 37 साल निवासी सन्देडा थाना सेन्दडा जिला पाली को अवैध रूप से **विभिन्न ब्राण्डो का अंग्रेजी व देशी शराब बीयर किंग फिसर के काटून 3, ट्रबो बीयर के काटून 5के 5000काटून व बीयर 4, गोड फादर बीयर हाफ का बोतल 22, देशी शराब घूमर के पत्वे के काटून 4, ऑफिर चौइस के पत्वे 23,ए सी के पत्वे 20, मेगडोल रम के पत्वे 20पत्वे व मेगडोल विस्का के 15 अंग्रेजी शराब** को अपने कब्जे में रखने पर धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर मुकदमा नं 167/17 दर्ज किया गया।

# शान्ति भंग के आरोप में छःआरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में शिवचरण हैड कानि० द्वारा दिनेश पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र 27 साल निवासी ग्राम सापला थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना केकडी में शिवचरण हैड कानि० द्वारा जयसिंह पुत्र छितर जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम जालीया थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना केकडी में सम्पतराज हैड कानि० द्वारा 1.शयोराज पुत्र रामकरण उम्र 48 साल जाति जाट निवासी कोटडी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक 2.मुंशी पुत्र रामकरण उम्र 43 साल जाति जाट निवासी कोटडी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक 3.लालाराम उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र श्री रामकरण उम्र 40 जाट निवासी कोटडी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक 4.मनराज पुत्र रामदेव उम्र 32 जाति जाट निवासी कोटडी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

# ध्वनि प्रदुषण का प्रकरण

## दर्ज

पुलिस थाना केकडी में मुन्नीराम उप नि० मय जाप्ता द्वारा रात्री में गस्त एंव जरायम कंट्रोल के दौरान कस्बा केकडी में राजकीय चिकित्सालय के पास जीप चालक श्री मुरारी पुत्र रामस्वरुप जाति प्रजापत उम्र 25 साल निवासी अजगरा पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर द्वारा टेप व स्पीकर द्वारा तेज आवाज में गाने बजाकर ध्वनि प्रदुषण करने पर गिरफ्तार किया गया व वापसी थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

## गिरफ्तारी वारन्टी में दो

### वारन्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना गेगल में आज दिनांक 22.08.2017 को आरिफ पुत्र खाली निवासी मोडसा गुजरात को मोती लाल सहायक उपनिरीक्षक ने कानि 9.09 ने मोडसा गुजरात से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना मदनगंज में एक स्थाई वारन्टी मनोज सैनी पुत्र नेमीचन्द्र जाति माली निवासी मालियों की ढाणी चमडा घर को गिरफ्तार कर वारन्टी तामिल करवाया गया।

# स्थाई वारन्टी में दो वारन्टी

## गिरफ्तार

पुलिस थाना किश्चनगंज में आज दिनांक 22.08.2017 को 2 स्थाई वारन्टी में 1.आलोक गोयल पुत्र डी के गोयल जाति गोयल निवासी वैशालीनगर जयपुर 2.एडवर्ड डेविड उर्फ राजकुमार पुत्र सेमुंग रोबर्ट निवासी किश्चनगंज अजमेर को गिरफ्तार कर स्थाई वारन्ट में तामिल करवाया गया।

पुलिस थाना केकडी में आज दिनांक 22.08.2017 को एक स्थाई वारन्टी महावीर पुत्र भेरू फुल माली निवासी रामपुरिया पुलिस थाना मोथपुर जिला बांरा को गिरफ्तार कर स्थाई वारन्टी में गिरफ्तार किया गया।